## प्ररूप 21 ग

## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

143 - भीनमाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री समरजीत सिंह (नाम)

V/P राजपूर्तों का वास, दासपां म् .पो .दासपां जिला जालोर (पता)

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र में उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान जालोर

दिनांक 03.12.2023

पेट्निंग अधिकारी रिट्निंग अधिकारी १४३ - भ्रोनिमील (एस.ही.एम) विद्यानसभा निर्दाधन क्षेत्र पोनमास (143)

## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 143-Bhinmal Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri SAMARJIT SINGH (Name)

V/P RAJPUTO KA VAS, DASPAN MU. PO. DASPAN DIST.JALORE (Address)

Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognized /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Jalore

Dated 03.12.2023

Returning Officer 143-BHINMAL

विधानसमा निर्वाधन क्षेत्र भीनमाल (143)